

झारखण्ड सरकार **वित्त विभाग।**

सूचना

वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार का सम्पूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं विभिन्न विभागों को वित्तीय बिन्दुओं पर परामर्श दिया जाता है। राज्य के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मुख्यतः निम्न कार्य वित्त विभाग के द्वारा किये जाते हैं :-

- राज्य सरकार के कर्मियों के पेंशन/भविष्य निधि संबंधी कार्य।
- वेतन संबंधी मामलों पर नीतिगत निर्णय एवं सभी विभागों को परामर्श।
- राज्य के आय-व्यय एवं बजट निर्माण।
- लेखा एवं अंकेक्षण का कार्य।
- कोषागार के माध्यम से वित्तीय अनुश्रवण।
- विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण संबंधी कार्य।
- RBI एवं अन्य बैंको तथा महालेखाकार कार्यालय से समन्वय स्थापित करना।
- DBT/SNB से संबंधी कार्य।
- विभिन्न विभागों से प्राप्त MoU/MoA की Vetting का कार्य।
- विभिन्न विभागों से प्राप्त वित्त सन्निहित प्रस्तावों पर परामर्श/सहमति।

2. वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों को बेहतर तरीके से सम्पादित करने के निमित्त संविदा के आधार पर विशेष कार्य पदाधिकारी (विशेष सचिव के समकक्ष) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदक, जैप आई0टी0 के Online Recruitment Portal (<http://recruitment.jharkhand.gov.in>) पर Online आवेदन करेंगे। साथ ही पदों के अनुरूप मांगे गए सभी Documents को भी आवेदन के साथ Scan कर उपर्युक्त वर्णित Online Recruitment Portal पर समर्पित करेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

3. संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पदों की विवरणी –

क्रम सं०	विभाग/कार्यालय	पद का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची	विशेष कार्य पदाधिकारी	अनुसूचित जनजाति (ST)	01
			कुल	01

4. पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं सेवा शर्त :-

- यह पद विशेष सचिव (Level-13A) के पद के समकक्ष होगा।
- इन पदों को संविदा के आधार पर सीधी नियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त पदाधिकारी द्वारा संविदा के आधार पर भरा जायेगा।
- विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी अर्हता निम्नवत् होगा :-

Sl. No	Name of Post	No of Post	Educational qualification & Experience
1.	Banking Expert	01	<p>Essential Qualification: MBA in Finance/CA/Masters' Degree in Finance or Economics from a reputed Institution.</p> <p>Essential Experience : 5-10 years of work experience in Central Government/ State Government/PSU/Reputed Private Financial Institution.</p> <p>Experience in Central Government/ State Government/SEBI/NITI Aayog/ WB/ADB/ Policy making bodies will be preferred.</p> <p>Primary Responsibility :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Helping in Effective monitoring of performance of bank to achieve annual Credit Plan. ➤ Debt management ➤ Asset Management.

- सीधी नियुक्ति के मामले में संबंधित पदाधिकारी को योग्यता एवं कार्य अनुभव के आधार पर मासिक संविदा राशि के रूप में **रु० 1,50,000–1,75,000/-** का भुगतान किया जायेगा।
- सेवानिवृत्त पदाधिकारी संयुक्त सचिव से अन्यून/बैंक के पदाधिकारी/वाणिज्यकर सेवा/अन्य सरकारी कार्यालयों में समकक्ष स्तर के पदाधिकारी होंगे।

- (vi) सेवानिवृत्त पदाधिकारी के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान वित्त विभागीय संकल्प संख्या-928/वि०, दिनांक 06.04.2022 तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।

5. भर्ती हेतु आयु सीमा :-

- (i) आयु की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि – 01.01.2024
(ii) आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा-50 वर्ष
(iii) सेवा निवृत्त पदाधिकारी के लिए अधिकतम आयु सीमा- 62 वर्ष

6. (क) संविदा पर नियुक्ति की शर्तें :-

- (i) उक्त पद पूर्ण रूप से अस्थाई (संविदा पर) होंगे तथा भविष्य में इन पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का स्थायीकरण का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
(ii) संविदा के आधार पर नियुक्ति 03 वर्षों के लिए की जायेगी। 03 वर्षों के पश्चात् कार्यरत पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार उनकी सेवा अवधि एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी।
(iii) उपर्युक्त पदों पर कार्यरत किसी भी पदाधिकारी का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उक्त कर्मी का अनुबंध किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।
(iv) संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों का किसी भी परिस्थिति में स्थायी नियोजन नहीं होगा। इन स्वीकृत पदों पर इस विज्ञापन के आधार पर चयनित पदाधिकारियों को नियत वेतन के विरुद्ध ही कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जायेगा।
(v) वित्त विभाग आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों एवं पदों की संख्या में संशोधन कर सकता है।
(vi) संविदा पर नियुक्त पदाधिकारी को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

(ख) संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया :-

- (i) उपर्युक्त पदों के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड नियुक्ति प्राधिकार होंगे।
(ii) चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के तीन माह के अन्दर प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से कराया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा जानबूझ कर गलत प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर विभाग विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त अवधि के अन्दर चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा।

(iii) Shortlisted Candidates की सूची एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नाम जैप आई.टी. के **Online Recruitment Portal (https://recruitment.jharkhand.gov.in)** पर प्रकाशित किये जायेंगे।

(ग) **चयन का मापदण्ड :-**

(i) वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे जो कंडिका-4 में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव धारित करते हो।

(ii) आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की Scrutiny चयन समिति के द्वारा की जायेगी, जिसके उपरान्त साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को Shortlist किया जायेगा।

(iii) चयन समिति द्वारा Shortlisted अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। उक्त साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी।

(घ) **चयन समिति :-**

संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी :-

1.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	-	अध्यक्ष
2.	विशेष सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य सचिव
3.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा स्थापना समिति में पूर्व से अनुसूचित जाति/जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि	-	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य

(ड.) **आवेदन की प्रक्रिया :-**

(i) इच्छुक उम्मीवार जैप आई.टी. के **Online Recruitment Portal (https://recruitment.jharkhand.gov.in)** पर Online आवेदन भरेंगे। आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्रों (जो लागू हो) की छायाप्रति को Scan कर **https://recruitment.jharkhand.gov.in** पर Upload करेंगे।

(a) मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र।


(b) वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं से संबंधित अधिकृत संस्थान/सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र।

(c) कार्य अनुभव से संबंधित सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र।

(ii) आवेदन शुल्क के रूप में रु 100/- मात्र देय होगा, जिसका भुगतान JAPIT के Recruitment Portal पर उपलब्ध Payment Gateway के माध्यम से Online किया जायेगा।

(च.) अन्यान्य :-

- (i) नियुक्ति संबंधी सूचना जैप आई.टी. के **Online Recruitment Portal** (<https://recruitment.jharkhand.gov.in>) पर एवं प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।
- (ii) चयन प्रक्रिया के दौरान अनजाने में किसी भी प्रकार की हुई त्रुटि के मामले में, जो नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात् भी किसी भी चरण में विभाग के संज्ञान में आता है, तो अभ्यर्थियों के चयन को संशोधित करने, वापस लेने अथवा रद्द करने का अधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित होगा।
- (iii) चयन की प्रक्रिया में होने वाले किसी भी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- (iv) आवेदनों की छँटनी, चयन एवं साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जाने के कारणों के बारे में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (v) वित्त विभाग के पास पदों की संख्या बढ़ाने, घटाने एवं आवश्यकतानुसार विज्ञापित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (vi) साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को कोई TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व ससमय आवेदन समर्पित कर लें।
- (viii) Online आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.01.2024 होगी।


(राजेश बाखला),
उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।